फर्द अहकाम

गोमा देवी बनाम बाबूलाल

केस संख्या – 122/2014

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	07/12/2017	गोमा देवी बनाम बाबूलाल पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी श्री विनोद कुमार शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री जितेन्द्र कुमार सैनी उपस्थित। वकील वादी ने न्यायिक अनुतोष के स्थान पर प्रशासनिक अनुतोष चाहने हेतु निवेदन किया कि मृतक मंगल्या पुत्र देवा जाति माली निवासी ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर के वारिसान की जांच कर विरासत का नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार को आदेश फरमाने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के अभिभाषको के कथनों पर विचार किया और पाया की वादीगण व प्रतिवादी न 1 रिकार्डेड खातेदार मंगल्या पुत्र देवा के विधिक उत्तराधिकारी है तथा स्व. मंगल्या पुत्र देवा की मृत्यु उपरान्त विरासत खातेदारी का अधिकार चाहते है जबकि मृतक विरासत का नामान्तरकरण पैंडिग है अर्थात वादी द्वारा अनुतोष बाबत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध रहते वाद दायर किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अतः इस प्रकरण का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि तहसीलदार बस्सी नियमानुसार ख0न0 2440 रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी में अंकित खसरा नम्बर 2440 रकबा 2.21 है0 के 1/4 हिस्से की मृतक मंगल्या पुत्र देवा के विधिक वारिसान की जांच कर विरासत का नामान्तकरण नियमानुसार एक माह की अवधि में किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बार तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर	

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी जिला जयपुर